

विषय-सूची		
विवरण		पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
प्रस्तर सं.	अध्याय-1: परिचय	पृष्ठ सं.
1.1	गंगा: पवित्र नदी	1
1.2	गंगा की पवित्रता के लिए खतरा	2
1.3	गंगा नदी का संरक्षण: प्रारंभिक पहल	2
1.4	गंगा के संरक्षण के लिए वर्तमान प्रयास: नमामि गंगे	4
1.5	नमामि गंगे का राज्य स्तरीय प्रशासनिक ढांचा	4
1.6	लेखापरीक्षा ने विषय को फिर से क्यों चुना?	5
1.7	लेखापरीक्षा उद्देश्य	6
1.8	लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र, कार्यप्रणाली और नमूना	6
1.9	लेखापरीक्षा मानदंड	7
1.10	आभार	8
प्रस्तर सं.	अध्याय-2: सीवेज शोधन अवसंरचना में कमियाँ	पृष्ठ सं.
2.1	सीवरेज अवसंरचना का सुदृढीकरण	9
2.2	गंगा के तटवर्ती नगरों में एस टी पी का नेटवर्क	10
2.3	सीवरेज अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए योजना	10
2.3.1	राज्य/जिला स्तरीय नदी बेसिन प्रबंधन योजना का अभाव	10
2.3.2	स्थानीय जनता को योजना में शामिल न किया जाना	11
2.3.3	गंगा के जीर्णोद्धार के लिए सीवेज सुविधाओं के सुदृढीकरण में राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय योगदान न किया जाना	13
2.3.4	घरों से न जुड़े 'प्रतीकात्मक' एस टी पी का निर्माण	14
2.3.5	आंशिक घरेलू सीवेज संयोजन	16
2.3.6	सह-शोधन के लिए असफल योजना	17
2.3.7	शोधन क्षमता का अपर्याप्त अनुमान	19
2.3.8	अतिरिक्त क्षमता और सीवेज की कम मात्रा का अन्तर्ग्रहण	22
2.3.9	गंगा तटवर्ती नगर में एस टी पी का न होना	24
2.4	एस टी पी का संचालन एवं अनुरक्षण	25
2.4.1	गंगा में अशोधित सीवेज का प्रवाह	25

विवरण		पृष्ठ सं.
2.4.2	संचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदार द्वारा गंगा में अशोधित सीवेज का जानबूझकर प्रवाह करना	26
2.4.3	गंगा में गिरने वाले नालों की टैपिंग न होना	27
2.4.4	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति के नवीनीकरण के बिना एस टी पी का संचालन	28
2.4.5	संचालन एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण अनुरक्षण अभिकरण द्वारा 18 एस टी पी का अधिग्रहण न किया जाना	28
2.5	स्लज का प्रबंधन एवं पुनः उपयोग	29
2.5.1	जैविक उर्वरकों के रूप में स्लज का उपयोग	29
2.5.2	स्लज का अनुचित भंडारण	31
2.5.3	स्लज प्रबंधन संयंत्र का संचालन न होना	32
2.5.4	शोधित जल का पुनः उपयोग	33
2.6	सुरक्षा लेखापरीक्षा	34
2.7	अनुशंसाएं	37
प्रस्तर सं.	अध्याय-3: गंगा की स्वच्छता के लिए सहायक पहल: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वानिकी गतिविधियाँ तथा घाट एवं श्मशान घाट	पृष्ठ सं.
3.1	गंगा की स्वच्छता के लिए सहायक पहल	39
3.2	घाट एवं श्मशान घाट	39
3.2.1	माँग एवं आवश्यकता विश्लेषण के बिना किए गए निर्माण के कारण अप्रयुक्त श्मशान घाट	40
3.3	गंगा नदी के लिए वानिकी गतिविधियाँ	42
3.3.1	वानिकी गतिविधियों की अल्प प्रगति	42
3.4	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	44
3.4.1	ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्राधिकार का अभाव	44
3.4.2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जमीनी रिपोर्ट	46
3.5	अनुशंसाएं	48
प्रस्तर सं.	अध्याय-4: गंगा नदी का जल गुणवत्ता अनुश्रवण	पृष्ठ सं.
4.1	नदी जल की स्वच्छता के महत्वपूर्ण संकेतक	49
4.2	गंगा जल गुणवत्ता अनुश्रवण नेटवर्क	50

विवरण		पृष्ठ सं.
4.3	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गंगा जल की गुणवत्ता	50
4.4	एस टी पी के शोधित प्रवाह का गुणवत्ता अनुश्रवण	52
4.4.1	यू के पी सी बी द्वारा एस टी पी के शोधित प्रवाह का अप्रचलित अनुश्रवण	52
4.4.2	एस टी पी द्वारा सीवेज का निम्न गुणवत्ता शोधन	53
4.4.3	यू के पी सी बी प्रयोगशालाओं का गैर-मान्यता प्राप्त होना	54
4.4.4	यू के पी सी बी परीक्षण विश्वसनीय न होना	55
4.5	ऑनलाइन सतत प्रवाह अनुश्रवण प्रणाली	56
4.6	अनुशंसाएं	57
प्रस्तर सं.	अध्याय-5: वित्तीय प्रबंधन एवं कार्यों की अधिप्राप्ति	पृष्ठ सं.
5.1	निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग	59
5.1.1	कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों का अवरोधन	60
5.2	तृतीयक शोधन प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे	61
5.2.1	तृतीयक शोधन संयंत्रों के नाम पर द्वितीयक शोधन एस टी पी की स्थापना	62
5.2.2	तृतीयक शोधन संयंत्रों के लिए एस टी पी का उन्नयन	63
5.3	मास्टर कंट्रोल स्टेशन का संचालन न होना	64
5.4	सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करना	64
5.5	परियोजना तैयार करने एवं पर्यवेक्षण प्रभार पर अतिरिक्त व्यय	65
5.6	परिसमापन क्षतिपूर्ति की कम वसूली	66
5.7	नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए बीमा सुरक्षा का अभाव	67
5.8	बैंक गारंटी का नवीनीकरण न किया जाना	68
5.9	अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा न किया जाना	69
5.10	नमामि गंगे की निधियों से अनियमित व्यय	70
5.11	रॉयल्टी एवं जिला खनिज निधि की धनराशि की कटौती न किया जाना	71
5.12	श्रम उपकर की कटौती न किया जाना	72
5.13	अनुशंसा	73

परिशिष्ट सं.	परिशिष्ट का शीर्षक	पृष्ठ सं.
2.1	सात गंगा तटवर्ती नगरों में सीवेज संयोजन की कमी का विवरण	75
2.2	बिना परिचालन स्वीकृति (सी टी ओ) के संचालित हो रहे एस टी पी की सूची	77
2.3	परिचालन और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अधिग्रहित नहीं किए गए 18 एस टी पी की सूची	78
4.1	सी पी सी बी के अनुसार जल गुणवत्ता मानदंड	80
5.1	सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व कार्य प्रारंभ करना	81
5.2	सीवेज परियोजनाओं से संबंधित कार्यों के निष्पादन में विलंब के लिए परिसमापन क्षतिपूर्ति की कम वसूली	82
शब्दावली		83